

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक— एफ.1(ए)09/पार्ट-4/संस्था/बीमा/2025/ दिनांक : 12-05-2025
—आदेश— 45

इस विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने/बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं	नाम कर्मचारी श्री/श्रीमती/ सुश्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पाठ्यक्रम/प्रतियोगी परीक्षा जिसकी अनुमति चाही गयी है
1.	निशा पूनिया	कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय, बीकानेर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध), (इतिहास) परीक्षा, 2025 (परीक्षा का संभावित आयोजन— अप्रैल-मई, 2025)

उपर्युक्त अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा रही है :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमति अलग - अलग लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन की स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक— एफ.1(ए)09/पार्ट-4/संस्था/बीमा/2025/ 1415-1416 दिनांक : 12-05-2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संबंधित अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, बीकानेर संभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति स्वयं के स्तर पर संबंधित कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Amr Johari
Designation: Additional Director
Date: 2025.05.08 15:25:53 IST
Reason: Approved

